बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 52/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल

(ख) अंकेक्षणाधीन लेखा वर्ष – 2009–10

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – कृषि विभाग बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षणाधीन अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

श्री लक्ष्मी कान्त साह संयुक्त कृषि निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा वर्ष 2009–10

(ड़) अंकेक्षणाधीन अवधि में लेखा प्रभारी पदाधिकारी एंव कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री महेश प्रसाद सिंह,
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी वर्ष 2009–10
2. श्री बब्बन प्रसाद सिंह
लेखापाल सह प्रधान सहायक वर्ष 2009–10

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 के नाम एंव पदनाम –

1. श्री राम नरेश शर्मा,
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी
2. श्री दुखमोचन सरदार, सहायक –सह
गोदामपाल/लेखापाल/प्रधान सहायक

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री अशोक कुमार गुप्ता ,व0 अं0– 1

2. श्री राकेश रंजन श्रीवास्तव , व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 22.07.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 19.09.2011

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 17 कार्य दिवस ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' द्रष्टव्य है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

3286 /वि0 अं0, पटना दिनांक 15.9.60

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल के लेखा वर्ष 2009–10 का अंकेक्षण विभागीय परिपत्र 3286 दिनांक 15.09.60 में निहित अनुदेशों के आलोक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया । जिला कोषागार, सुपौल से उक्त कार्यलय से सम्बन्धित प्राप्ति एवं जमा राशियों का कोषागार सत्यापन सम्बद्ध अभिलेखों से शत्–प्रतिशत् सत्यापन किया गया और सही पाया गया।

(iv) वित्तीय श्रोत – सरकारी विभाग से आवंटन प्राप्ति तथा जिला कृषि पदा0 सुपौल से विकास योजना मद में ड्राफ्ट/चेक प्राप्त से।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – शत् प्रतिशत् सम्बद्ध अभिलेखों से सत्यापन किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार बिहार पटना के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति –

महालेखाकार , बिहार, पटना के पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में उपलब्ध नही कराया गया। फलतः अनुपालन दोनो विभाग के अं0 प्र0 का नही हो सका।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(i) आवंटन की स्थिति में :– क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई है – नहीं।

(ii) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति – भौतिक सत्यापन किया गया। जिसकी संवरण शेष की स्थिति दिनांक 22.7.11 को निम्न प्रकार पाई गई।

(iii) रोकड़ पुस्त में संवरण शेष की स्थिति :– रू0 16550265.58

(क) नकद राशि	–	शून्य
(ख) बैंक खाता में कुल राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बचत खाता सं0 11114424078	–	6947894.05
(ग) बैंक खाता में सूद की राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुपौल के बचत खाता सं0 1918275659	–	1755889.27
(घ) अग्रिम की राशि	–	7337234.00
(ड़) असमायोजित अभिश्रव	–	474248.26
(च) अन्य / बैंक ड्राफ्ट	–	35000.00
	कुल योग–	16550265.58

अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल के लेखा वर्ष 2009–10 के आय एवं व्यय विवरणी परिशिष्ट 'ख' संलग्न है तथा विभिन्न कार्यालयों / पदाधिकारियों से प्राप्त चेक की राशियों की सूची परिशिष्ट 'ग' संलग्न है।

अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 22.7.2011 को उक्त कार्यालय के विभिन्न मदों में संवरण शेष के रूप में कुल राशि रू0 16550265.58 रोकड़ पुस्त में अंकित थी।

अंकेक्षण वर्ष 2009–10 के वित्तीय वर्ष में दिनांक 1.4.09 को प्रारंभण शेष के रूप में रू0 29379976.58 और वित्तीय वर्ष के अंतिम यानि दिनांक 31.3.10 को अंतिम शेष रू0 33644433.58 पै0 था।

अस्थायी अग्रिम की स्थिति :–

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सुपौल में वर्ष 2008–09 तक रू0 917272.00 अस्थायी अग्रिम स्वरूप राशि लम्बित पड़ी हुई पाई गई। निर्धारित अवधि में अग्रिम का समायोजन/वसूली नही होने से राशि के गबन/दुर्विनियोजन की संभावना बनी रहती है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि लम्बित अस्थायी अग्रिम का समायोजन/वसूली करवा लिया जाय, और प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

असमायोजित अभिश्रव की स्थिति :–

अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल में वर्ष 2008–09 तक असमायोजित अभिश्रव के रूप में रू0 250996.26 था, जिसका समायोजन लम्बित है। निर्धारित अवधि में अभिश्रव का समायोजन नही होने से राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। अतः विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि आवंटन की मांग कर असमायोजित अभिश्रव का समायोजन कर लिया जाय, और प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

अधीक्षण शीर्ष स्थापना :–

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक	रिक्त/कम	अभ्युक्ति
1	अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी	1	1	–	–	
2	कृषि निरीक्षक (निजी लेखा)	1	–	–	1	
3	प्रधान सहायक	1	1	–	–	
4	सहायक	1	1	–	–	
5	जीप चालक	1	–	–	1	
6	अनुसेवक	2	1	–	1	
7	रात्रि प्रहरी	1	–	–	1	
8	क्षेत्र सहायक	6	–	–	6	
		14	4	–	10	

प्रक्षेत्र शीर्ष –

क्र0	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक	रिक्त / कम	अभ्युक्ति
1	अनु0 कृषि पदा0 (प्रक्षेत्र)	1	–	–	1	
2	कृषि निरीक्षक (प्रक्षेत्र)	1	1	–	–	
3	प्रक्षेत्र लेखापाल	1	–	–	1	
4	प्रक्षेत्र लेखा लिपिक	1	1	–	–	
5	प्रक्षेत्र सरदार	1	–	–	1	
6	प्रक्षेत्र सहायक	4	–	–	4	
7	ट्रैक्टर चालक	3	1	–	2	
8	हलधर	7	1	–	6	
9	रात्रि प्रहरी	1	–	–	1	
		20	4	–	16	

इस प्रकार अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल के स्थापना एवं प्रक्षेत्र शीर्ष में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत बलों की संख्या बहुत ही कम है, जिससे स्थापना एवं प्रक्षेत्र का कार्य, बहुत हद तक प्रभावित होने के नकरा नही जा सकता।

अतः रिक्त पदों को भरा जाना अपेक्षित है।

कंडिका –2

(5) रू0 350.00 डीजल मद में किया गया अधिक भुगतान, वसूली योग्य :–

अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल के लेखा वर्ष 2009–10 के जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 67/09–10 अभिश्रव सं0 22 दिनांक 30.3.10 को मेसर्स देवरानी फ्यूल सेंटर, सुपौल को 20 लीटर डीजल के क्रय पर दर रू0 35.00 प्रति लीटर की दर से रू0 1050.00 का भुगतान किया गया था। जबकि 35.00 रू0 की दर से रू0 700.00 का ही भुगतान होना चाहिए था। परन्तु उक्त अभिश्रव को रू0 700.00 की जगह रू0 1050.00 संबंधित पदाधिकारी द्वारा पारित कर व्यय दिनांक 30.3.10 को दिखाया गया था। 20 लीटर डिजल के क्रय की प्रवृष्टि लॉग बुक के अप्रस्तुत रहने के कारण नही की जा सकी।

इस प्रकार रू0 350.00 अधिक भुगतान की गई राशि (1050.00 – 700.00= 350.00) संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(6) रू0 474.00 का भुगतान , विक्रेता के बिना हस्ताक्षरित रसीद पर किया गया भुगतान, वसूली योग्य :–

जाँच में पाया गया कि पुरूषोत्तम खाद– बीज भंडार, त्रिवेणीगंज एवं रौशन हार्ड–वेयर, किशनपुर, सुपौल से क्रमशः खाद एवं मोटा रस्सी का क्रय किया गया था। उक्त प्रतिष्ठानों के द्वारा प्राप्त कैश–मेमों पर विक्रेता का हस्ताक्षर नही था, जिससे प्रतीत होता है कि उक्त कैश मेमो फर्जी रूप से प्राप्त कर एवं भुगतान दिखाकर व्यय किया गया था। विक्रेता के बिना हस्ताक्षरित कैश मेमों तत्संबंधी भुगतान को वैध करार नही दिया जा सकता है। निर्गत आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि अभिश्रव पर दुकानदार से हस्ताक्षर करा लिया गया है, परन्तु उक्त हस्ताक्षरित पर पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नही था।

इस प्रकार पदाधिकारी द्वारा अभिश्रव पर सही विक्रेता के हस्ताक्षर का प्रतिहस्ताक्षरित के अभाव में कैश– मेमों पर किया गया व्यय रू0 474.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। विवरणी इस प्रकार है :–

क्र0	विपत्र सं0/वर्ष	अभिश्रव सं0	तिथि	दुकानदार/फर्म का नाम	विवरणी	राशि
1	34/09–10	2	23.11.09	पुरूषोत्तम खाद, बीज भंडार, त्रिवेणीगंज	एक बोड़ा एन0 पी0 के खाद	374.00

2	65/09—10	72	31.3.10	रौशन हार्ड वेयर किशनपुर, सुपौल	मोटा रस्सी 800 ग्राम दर 125/— प्रति कि0 ग्रा0	100.00

कुल रू0 — 474.00

(7) रू0 1500.00 बिना पारित अभिश्रव पर किया गया भुगतान, आपत्ति अन्तर्गत :—

अंकेक्षण के जाँच में पाया गया कि विपत्र सं0 34/09—10 अभिश्रव सं0 107 के द्वारा दिनांक 23.11.09 को श्री संजय कुमार, ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर सं0 बी0 आर0 —50 /7796 को रू0 15000.00 का भुगतान श्री अशोक कुमार चौधरी, कृषि निरीक्षक के द्वारा किया गया था। यह ट्रैक्टर कृषि कार्य0 या व्यवसायिक रूप में निबंधित था, इसका जिक्र अभिश्रव पर नही अंकित और न ही अंकेक्षण के क्रम में इसकी कोई जानकारी ही दी गई।

उक्त अभिश्रव के जाँच में पाया गया कि अभिश्रव संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी ,सुपौल द्वार पारित नही था। फिर भी उक्त बिना सक्षम पदाधिकारी के पारित अभिश्रव पर किया गया भुगतान रू0 15000.00 अनियमित एवं आपत्तिजनक प्रतीत होता है।

विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि बिना पारित अभिश्रव पर किया गया भुगतान रू0 15000.00 तब तक आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। जबतक कि उसकी आवश्यक जाँच पड़ताल कर वास्तविक स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत करायी न जाय।

(8) रू0 500.00 कम्प्यूटर के पेन ड्राइव पर किया गया संदिग्ध व्यय :— आपत्ति अन्तर्गत ।

अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि आईसोपोम कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित इनोवेटिव कम्पोनेंट कम्प्यूटरीकरण योजना में कम्प्यूटर क्रय हेतु मो0 50000.00 (पचास हजार) रूपया अनुमंडल कृषि कार्यालय, सुपौल को आवंटित किया गया था, जिसकी निकासी विपत्र सं0 64/09—10 के द्वारा दिनांक 31.3.10 को की गई थी।

कम्प्यूटर क्रय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि एस0 बी0 नं0 —1 के द्वारा मेसर्स— माइक्रोसीस, डाक बंगला रोड, पटना से एक कम्प्यूटर सेट रू0 49500.00 में दिनांक 13.3.10 को क्रय की गई थी। साथ ही कम्प्यूटर क्रय तिथि 13.3.10 से पूर्व ही दिनांक 12.3.10 को एस बी0 नं0 —2 के द्वारा दो पीस कम्प्यूटर का पेन ड्राइव स्थानीय बाजार मेसर्स जय दुर्गा स्टोर, कचहरी रोड, सुपौल से रू0 250.00 प्रति पेन ड्राइव की दर से कुल रू0 500.00 का क्रय किया गया था।

प्रायः कम्प्यूटर के दुकान में ही कम्प्यूटर का सभी सामान उपलब्ध होता है। फिर भी कम्प्यूटर क्रय तिथि 13.3.10 से पूर्व ही दिनांक 12.3.10 को पेन ड्राइव का क्रय संदेहात्मक एवं असंगत प्रतीत होता है। अंकेक्षण को ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय बाजार से फर्जी रसीद बनवाकर पेन ड्राइव पर किया गया व्यय रू0 500.00 संदिग्ध व्यय जान पड़ता है।

प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है, कि विभागीय स्तर से उक्त व्यय से संबंधित कार्य प्रणाली कर ली जाय, और की गई कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत करायी जाय, तब तक पेन ड्राइव पर किया गया व्यय रू0 500.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(9) रू0 21960.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल के लेखा वर्ष 2009–10 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि श्री किशोर कुमार यादव को पंपिग सेट चलाकर पानी का पटवन करने हेतु विपत्र सं0 34/09–10 अभिश्रव सं0 26 एवं 27 दिनांक 23.11.09 के द्वारा क्रमशः राशि रू0 10980.00 और रू0 10980.00 कुल रू0 21960.00 का भुगतान किया गया था।

पंपिग सेट चलाकर पानी का पटवन करने हेतु निर्धारित रू0 60.00 प्रतिघंटा की दर से कुल रू0 21960.00 का भुगतान किया गया था।

परन्तु अंकेक्षण में यह स्पष्ट नही हो सका कि वास्तव में कुल कितने घंटे पंपिग सेट चलाया गया, तत् संबंधित अभिलेख या लॉग–बुक भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे पंपिग सेट से पटवन पर किया गया व्यय रू0 21960.00 की औचित्यता की जाँच हो सके। प्रशासनिक विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि इसकी वास्तविकता की जाँच करायी जाय तथा वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग पटना को अवगत कराया जाय। तबतक पंपिग सेट से पटवन पर किया गया व्यय कुल रू0 21960.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(10) रू0 137095.00 डीजल/पेट्रोल पर किया गया व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

(i) अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि प्रक्षेत्रों में बीजोत्पादन योजना के तहत ट्रैक्टर के उपयोग हेतु डीजल/मोबील का क्रय विभिन्न संस्थानों से किया गया था। और इस पर कुल रू0 53900.00 का व्यय किया गया था। ट्रैक्टर के संचालन हेतु कितने लीटर डीजल प्रति घंटा की दर से अनुमान्य था, इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी अंकेक्षण में नही दिया गया। आपत्ति निर्गत किये जाने के बाद भी ट्रैक्टर का लॉग–बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे डीजल पर किये गये व्यय की औचित्यता की जाँच नही की जा सकी। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया

जाता है, तब तक डीजल पर किया गया व्यय रू0 53900.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है। विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है।

(ii) अंकेक्षण के क्रम में पाया गया कि भाड़े पर मोटर वाहन के अभिश्रवों के जाँच में पाया गया कि भाड़े पर मोटर वाहन परिचालन हेतु डीजल/मोबील का क्रय विभिन्न संस्थानों से कर इस पर कुल रू0 83195.00 का व्यय किया गया था।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के विभागीय राज्यादेश संख्या पी0 पी0 एम0 –38/2009–123 दिनांक 8.1.2010 में निहित प्रावधान के आलोक में कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण/अनुश्रवण के प्रयोजनार्थ अनुसूची (ii) के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों के लिए प्रत्येक वाहन जिसका ईंधन का भुगतान 9 (नौ) कि0 मी0 प्रति लीटर डीजल माइलेज के दर से किया जायेगा। आपत्ति निर्गत किये जाने के बाद भी वाहन का लाँग –बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किय गया, जिससे वाहन पर किये गये डीजल की औचित्यता की जाँच नही की जा सकी। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि अपने स्तर से उक्त के आलोक में ईंधन खपत एवं गाड़ी परिचालन से संबंधित लॉग बुक से व्यय की राशि की जाँच कर ली जाय अगर अन्यथा की स्थिति पाई जाती है तो कारवाई अपेक्षित होगी। इसके प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'ङ' पर संलग्न है। तब तक कुल (i)+(ii) 53900.00+83195.00 कुल व्यय राशि रू0 137095.00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं।

(11) रू0 596000.00 अस्थायी अग्रिम अंकेक्षित वर्ष 2009–10 का समायोजन हेतु लंबित :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 611 के अनुसार किसी सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति से किसी विभागीय या संबंधित उद्धेश्यों के लिए प्रदान किया गया अग्रिम का समायोजन कार्य समाप्ति के पश्चात् अभिश्रव संलग्न कर या राशि की वापसी कर जैसा भी मामला है, किया जाना अपेक्षित है एवं बिहार वित्तीय नियमावली 609 (ii) के अनुसार पूर्व की अग्रिम राशि का समायोजन होने के पश्चात् ही अनुवर्त्ती अग्रिम स्वीकृत किया जाना चाहिए।

उक्त कार्यालय के अंकेक्षण वर्ष 2009–10 तक के अग्रिम पंजी, सामान्य रोकड़ पंजी के जाँच में पाया गया कि रू0 596000.00 अन्तशेष में अस्थायी अग्रिम के रूप में पड़ी हुई है, जिसका समायोजन/वसूली लंबित है।

निर्धारित अवधि में अग्रिम का समायोजन/वसूली नही होने से राशि के गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'च' पर संलग्न है।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि लम्बित अस्थायी अग्रिम का समायोजन/वसूली कर लिया जाय, और प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(12) रू0 3410.00 के व्यय का सत्यापन/जाँच अभिलेखों के अप्रस्तुत रहने के कारण नही होना, आपत्ति अन्तर्गत :–

रोकड़ पुस्त के जाँच क्रम में पाया गया कि रू0 3410.00 के व्यय से संबंधित अभिश्रव/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उक्त व्यय की जाँच कार्य नही हो पाई। विवरण इस प्रकार है –

क्र0	विपत्र सं0/वर्ष	अभिश्रव सं0	व्यय तिथि	विवरण	राशि
1	67/09–10	69	30.3.10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल, डीजल पर व्यय	1400.00
2	65/09–10	144	31.3.10	कारी सरदार त्रिवेणीगंज को भुगतान	2010.00
				कुल योग–	3410.00

<u>भाग– 3 (सुझात्मक)</u>

(13) रू0 1898019.30 कोषागार में जमा करने योग्य राशि :–

अनुमण्डल कृषि कार्यालय, सुपौल के रोकड़ पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न मदों से प्राप्त राशि रू0 1898019.30 बहुत दिनों से रोकड़ पुस्त में रखा गया हैं। नियमतः किसी प्रकार के प्राप्त राशि को संबंधित जमा लेखा शीर्ष में अविलम्ब कोषागार में जमा करने का प्रावधान है।

रू0 1898019.30 कोषागार में जमा कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है।

(14) (i) रोकड़ पुस्तों एवं अभिलेखों में शुद्धता का बरता जाना :–

अंकेक्षण में ऐसा पाया गया कि रोकड़ पुस्तों एवं अभिलेखों के लेखन में शुद्धता का अभाव रहता है, साथ ही अंको के ऊपर दोहरा लेखन साथ –ही– साथ प्रत्येक कटिंग इत्यादि पर पदाधिकारी का हस्ताक्षर था। भविष्य में इस बिन्दु पर पुनरावृत्ति न हो इसका ख्याल रखा जाना अपेक्षित है।

(ii) अभिलेखों का सही ढंग से रख – रखाव :–

अंकेक्षण में ऐसा पाया गया कि अभिलेखों का सही ढंग से एवं क्रमवार नही रखा पाया गया। अलग– अलग शीर्ष का अभिलेख/संचिका अलग–अलग रक्षी – संचिका में रखा जाना हर हालत में अपेक्षित हैं।

(iii) भौतिक सत्यापन का किया जाना :–

प्रत्येक माह के अंत में नियमतः रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही शीर्ष वार भौतिक सत्यापन का विस्तृत विवरण निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि स्पष्ट लगे कि किस शीर्ष या मद में कितनी राशि शेष बची हुई है। परन्तु इसका अभाव देखा गया। अतः भविष्य में इस ओर ध्यान रखा जाय।

(15) प्रक्षेत्रों से प्राप्त आय को बिना रीमीटेन्स के माध्यम में सीधे कोषागार में जमा किया पाया जाना अनियमित :–

अंकेक्षण में ऐसा देखा गया कि प्रक्षेत्रों में बीजोत्पादन कार्यक्रम के तहत अबीज की बिक्री से या अन्य श्रोतों से किसी भी प्रकार से प्राप्त आय को सीधे कोषागार में जमा कर दिया जाता है। जबकि रेमिटेंस के माध्यम से ही किसी भी प्रकार से प्राप्त आय को जमा किया जाना चाहिए था। भविष्य में इस पर ध्यान देने की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(16) नाजीर रसीद का नही रखा जाना :–

अंकेक्षण क्रम में ऐसा देखा गया कि प्रक्षेत्रों से या अन्य श्रोतों से किसी भी प्रकार की आय की प्राप्ति होती है, तो नाजीर द्वारा सीधे तौर पर उसकी प्राव‍ृष्टि रोकड़ पुस्त में कर दी जाती है, जबकि नाजीर रसीद द्वारा किसी भी तरह की आय को प्राप्त करने के उपरान्त ही रोकड़ पुस्त में प्रव‍ृष्टि किया जाना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो सके कि किस नाजीर रसीद संख्या से कहाँ से किस मद का आय प्राप्त की गई और किस उद्धेश्य के हेतु प्राप्त की गई। भविष्य में इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना।

<u>**मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम**</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0–2

(2)

" NISHU"

परिशिष्ट 'क' (कंडिका '1–ट' से संबंधित)

अनुमंडल कृषि कार्यालय, सुपौल

वर्ष 2009–10

प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पंजी
2. सामान्य रोकड़ पुस्त
3. वर्ष 2009–10 में आय– व्यय से संबंधित सभी उप शीर्षों का सहायक रोकड़ पुस्त
4. अग्रिम पंजी एवं अग्रिम रोकड़ पुस्त
5. वेतन भुगतान पंजी (स्थापना एवं प्रक्षेत्र)
6. व्यय से संबंधित सभी अभिश्रवों का रक्षी पंजिका (आंशिक)
7. आकस्मिक व्यय पंजी

अप्रस्तुत अभिलेख :–

1. आवंटन पंजी एवं आवंटन से सम्बन्धित विविध पत्रादि।
2. लॉग– बुक (वाहन, ट्रैक्टर, पंपिंग सेट)
3. भंडार पंजी
4. सेवा पुस्त
5. अवकाश तालिका
6. उपास्थिति पंजी
7. व्यय से संबंधित अभिश्रव (आंशिक)
8. प्रक्षेत्रो में बीजोत्पाद, कृषि यांत्रिकरण से संबंधित अभिलेख
9. रेमिटेंस रजिस्टर
10. नाजीर रसीद

परिशिष्ट 'ख' (कंडिका –3 से संबंधित)
स्थापना आवंटन एवं व्यय विवरणी – वर्ष 2009–10
अनुमंडल कृषि कार्यालय, सुपौल

क्र0	शीर्ष	ईकाई	आवंटन	व्यय	अधिक व्यय	बचत एवं प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	2401	वेतन (स्थापना)	1266660.00	752156.00	—	514504.00	पत्रांक 19 / दि0 31.3.10
		कार्यालय व्यय सी0 एन सी0	13500.00	13483.00	—	17.00	''
		यात्रा भत्ता	15000.00	—	—	15000.00	''
		फॉर्म (स्थापना)	1183245.00	1017525.00	—	165720.00	''
		कार्यालय सी0 एन0 सी0	2550.00	2533.00	—	17.00	''
2	योजना सम्बन्धी	मोटर गाड़ी सी0 एन0 सी0	156000.00	148095.00	—	7905.00	''
3	तदैव	आईसोपोम योजना अन्तर्गत कम्प्यूटर का क्रय	50000.00	50000.00	—	—	''
4	तदैव	प्रक्षेत्रों पर बीजोत्पादन कार्यक्रम	1655000.00	1645703.00	—	9297.00	''
5	तदैव	गुणवतापूर्ण बीजो का उत्पादन एवं वितरण के लिए आधार भूत संरचना का विकास	2000000.00	2000000.00	—	—	प्रक्षेत्रों में गोदाम निर्माण निकासी दिनांक 31.3.10 को की गई है।

परिशिष्ट 'ग' (कंडिका —1'ड़' से संबंधित)

चेक ड्राफ्ट से प्राप्त राशि की विवरणी :—

क्र0	राशि जहाँ से प्राप्त हुई	चेक / ड्राफ्ट दिनांक सं0	तिथि	प्राप्त राशि	व्यय	अभ्युक्ति बचत
1	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल	724805	17.12.09	1850000.00		
2	तदैव	724808	5.3.10	1850000.00		
			कुल –	3700000.00	149382.00	3550618.00

परिशिष्ट 'घ' (कंडिका 10(i) से संबंधित)

रू0 53900.00 मोबील पर किया गया व्यय की विवरणी :–

विपत्र संख्या –34/09–10

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0 /वर्ष	आपूर्त्ति कर्त्ता	डीजल /पेट्रोल की मात्रा	मूल्य	गाड़ी/जेनरेटर	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	07/09–10	जानकी मिथिला इंटरप्राइजेज त्रिवेणीगंज	25 ली0	821.00	उल्लेख नही	23.11.09	
2	08/09–10	''	25 ली0	821.00	''	''	
3	09/09–10	''	25 ली0	821.00	''	''	
4	10/09–10	''	15 ली0	492.00	''	''	
5	54/09–10	गंगा पेट्रोलियम, सुपौल	10 ली0	328.00	''	''	
6	55/09–10	''	20 ली0	657.00	''	''	
7	56/09–10	''	10 ली0	328.00	''	''	
8	57/09–10	''	एच0 एस 0 डी0 20 ली0	357.00	''	''	अभिश्रव 9657.00 का है।
9	58/09–10	''	डीजल 15 ली0	492.00	''	''	
10	59/09–10	''	डीजल 15 ली0	492.00	''	''	
11	61/09–10	''	20 ली0	699.00	''	''	
12	62/09–10	''	40 ली0	1398.00	''	''	
13	63/09–10	''	40 ली0	1398.00	''	''	
14	64/09–10	''	15 ली0	524.00	''	''	
15	65/09–10	''	10 ली0	349.00	''	''	
16	66/09–10	''	10 ली0	328.00	''	''	
17	67/09–10	''	5 ली0	164.00	''	''	
18	68/09–10	''	35 ली0	1149.00	''	''	
19	69/09–10	''	15 ली0	492.00	''	''	
20	71/09–10	''	25 ली0	821.00	''	''	
21	72/09–10	''	40 ली0	1398.00	''	''	
22	73/09–10	भुवनेश्वरी फ्यूल सेंटर किशनपुर (सुपौल)	20 ली0	699.00	''	''	
23	75/09–10	''	5 ली0	174.00	''	''	
24	76/09–10	''	8 ली0	279.00	''	''	
25	77/09–10	''	8 ली0	279.00	''	''	
26	78/09–10	भुवनेश्वरी फ्पुल सेंटर किशनपुर (सुपौल)	8 ली0	279.00	''	''	

27	79 / 09–10	ʼʼ	8 ली0	279.00	ʼʼ	ʼʼ	
28	80 / 09–10	ʼʼ	8 ली0	279.00	ʼʼ	ʼʼ	
29	81 / 09–10	ʼʼ	8 ली0	279.00	ʼʼ	ʼʼ	
30	88 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	30 ली0	1048.00	ʼʼ	ʼʼ	
31	89 / 09–10	ʼʼ	40 ली0	1398.00	ʼʼ	ʼʼ	
32	90 / 09–10	ʼʼ	40 ली0	1398.00	ʼʼ	ʼʼ	
33	91 / 09–10	ʼʼ	40 ली0	1398.00	ʼʼ	ʼʼ	
34	92 / 09–10	ʼʼ	30 ली0	1048.00	ʼʼ	ʼʼ	
35	93 / 09–10	ʼʼ	35 ली0	1227.00	ʼʼ	ʼʼ	
36	94 / 09–10	ʼʼ	25 ली0	874.00	ʼʼ	ʼʼ	
37	95 / 09–10	ʼʼ	5 ली0	174.00	ʼʼ	ʼʼ	
38	96 / 09–10	ʼʼ	5 ली0	174.00	ʼʼ	ʼʼ	
39	97 / 09–10	ʼʼ	15 ली0	524.00	ʼʼ	ʼʼ	
40	98 / 09–10	ʼʼ	5 ली0	174.00	ʼʼ	ʼʼ	
41	99 / 09–10	ʼʼ	15 ली0	524.00	ʼʼ	ʼʼ	
42	100 / 09–10	ʼʼ	5 ली0	174.00	ʼʼ	ʼʼ	
43	101 / 09–10	ʼʼ	10 ली0	349.00	ʼʼ	ʼʼ	
44	102 / 09–10	ʼʼ	10 ली0	349.00	ʼʼ	ʼʼ	
45	104 / 09–10	ʼʼ	15 ली0	524.00	ʼʼ	ʼʼ	
46	105 / 09–10	ʼʼ	10 ली0	349.00	ʼʼ	ʼʼ	
47	106 / 09–10	ʼʼ	10 ली0	349.00	ʼʼ	ʼʼ	
48	108 / 09–10	ʼʼ	7 ली0	244.00	ʼʼ	ʼʼ	
49	109 / 09–10	ʼʼ	15 ली0	524.00	ʼʼ	ʼʼ	
50	110 / 09–10	ʼʼ	20 ली0	699.00	ʼʼ	ʼʼ	
51	111 / 09–10	ʼʼ	डीजल 35 ली0	1223.00	ʼʼ	ʼʼ	
52	112 / 09–10	ʼʼ	35 ली0	1223.00	ʼʼ	ʼʼ	
53	113 / 09–10	ʼʼ	40 ली0	1398.00	ʼʼ	ʼʼ	
54	114 / 09–10	ʼʼ	40 ली0	1398.00	ʼʼ	ʼʼ	
55	115 / 09–10	ʼʼ	35 ली0	1223.00	ʼʼ	ʼʼ	
56	127 / 09–10	बमबम स्पेयर स्टोर्स उपेन्द्र प्र0 गुप्ता खुदरा डीजल विक्रेता, पिपरा	मोबिल 5 अदद	800.00	ʼʼ	ʼʼ	
57	128 / 09–10	ʼʼ	डीजल 50 ली0	1655.00	ʼʼ	ʼʼ	
58	129 / 09–10	ʼʼ	डीजल 30 ली0	993.00	ʼʼ	ʼʼ	
59	130 / 09–10	ʼʼ	डीजल 20 ली0	702.00	ʼʼ	ʼʼ	

60	131／09—10	ʼʼ	डीजल 50 ली0	1655.00	ʼʼ	ʼʼ	
61	132／09—10	ʼʼ	डीजल 50 ली0	1755.00	ʼʼ	ʼʼ	
62	133／09—10	ʼʼ	डीजल 20 ली0	702.00	ʼʼ	ʼʼ	
63	134／09—10	ʼʼ	डीजल 40 ली0	1404.00	ʼʼ	ʼʼ	
64	135／09—10	ʼʼ	डीजल 40 ली0	1404.00	ʼʼ	ʼʼ	
65	136／09—10	ʼʼ	डीजल 50 ली0	1755.00	ʼʼ	ʼʼ	
66	137／09—10	ʼʼ	डीजल 40 ली0	1404.00	ʼʼ	ʼʼ	
67	138／09—10	ʼʼ	डीजल 40 ली0	1404.00	ʼʼ	ʼʼ	
68	139／09—10	ʼʼ	डीजल 40 ली0	1404.00	ʼʼ	ʼʼ	

कुल योग— 53900.00

परिशिष्ट 'ड़' (कंडिका 10(ii) से संबंधित)

रू0 83195.00 वाहन के डीजल पर किया गया व्यय की विवरणी :—

विपत्र संख्या –67/09–10

क्र0 सं0	अभिश्रव सं0 /वर्ष	आपूर्त्ति कर्त्ता	डीजल /पेट्रोल की मात्रा	मूल्य	गाड़ी/जेनरेटर	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	04/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 25 ली0	875.00	उल्लेख नही	30.03.10	
2	05/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 50 ली0	1750.00	''	''	
3	06/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	
4	07/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	
5	08/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	
6	09/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 30 ली0	1050.00	''	''	
7	10/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 22 ली0	770.00	''	''	
8	11/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	
9	12/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	''	''	
10	13/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 50 ली0	1750.00	''	''	
11	14/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 25 ली0	875.00	''	''	
12	15/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	
13	16/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	''	''	
14	17/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 30 ली0	1050.00	''	''	
15	18/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	
16	19/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	
17	20/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	''	''	
18	21/09–10	देवरानी फ्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	''	''	

19	22 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	1050.00	,,	,,	
20	23 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 15 ली0	525.00	,,	,,	
21	24 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
22	25 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
23	26 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	,,	,,	
24	27 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
25	28 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
26	29 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 30 ली0	1050.00	,,	,,	
27	30 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	,,	,,	
28	31 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 30 ली0	1050.00	,,	,,	
29	32 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 30 ली0	1050.00	,,	,,	
30	33 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
31	34 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	,,	,,	
32	35 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 15 ली0	525.00	,,	,,	
33	36 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
34	37 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	,,	,,	
35	38 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
36	39 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	,,	,,	
37	40 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 25 ली0	875.00	,,	,,	
38	41 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	,,	,,	
39	42 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	,,	,,	

40	43 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	"	"	
41	44 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	"	"	
42	45 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	"	"	
43	46 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	"	"	
44	47 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	"	"	
45	48 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	"	"	
46	49 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	"	"	
47	50 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	"	"	
48	51 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 30 ली0	1050.00	"	"	
49	52 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	"	"	
50	53 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 30 ली0	1050.00	"	"	
51	54 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 10 ली0	350.00	"	"	
52	55 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 20 ली0	700.00	"	"	
53	56 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	डीजल 15 ली0	525.00	"	"	
54	57 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 25 ली0	875.00	"	"	
55	58 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सुपौल	डीजल 40 ली0	1400.00	"	"	
56	59 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम	डीजल 40 ली0	1400.00	"	"	
57	60 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	डीजल 40 ली0	1400.00	"	"	
58	61 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम	20 ली0	700.00	"	"	
59	62 / 09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	35 ली0	1050.00	"	"	
60	63 / 09–10	गंगा पेट्रोलियम	25 ली0	875.00	"	"	
61	64 / 09–10	देवरानी प्यूल	50 ली0	1750.00	"	"	

		सेंटर					
62	65/09–10	गंगा पेट्रोलियम	20 ली0	700.00	''	''	
63	66/09–10	गंगा पेट्रोलियम	50 ली0	1750.00	''	''	
64	67/09–10	गंगा पेट्रोलियम सुपौल	10 ली0	350.00	''	''	
65	68/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	35 ली0	1050.00	''	''	
66	69/09–10	गंगा पेट्रोलियम	40 ली0	1400.00	''	''	अभिश्रव अप्राप्त।
67	70/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	25 ली0	875.00	''	''	
68	71/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	20 ली0	700.00	''	''	
69	72/09–10	गंगा पेट्रोलियम	15 ली0	525.00	''	''	
70	73/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर सेंटर	40 ली0	1400.00	''	''	
71	74/09–10	गंगा पेट्रोलियम	40 ली0	1400.00	''	''	
72	75/09–10	गंगा पेट्रोलियम	10 ली0	350.00	''	''	
73	76/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	25 ली0	875.00	''	''	
74	77/09–10	गंगा पेट्रोलियम	20 ली0	700.00	''	''	
75	78/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	40 ली0	1400.00	''	''	
76	79/09–10	गंगा पेट्रोलियम	25 ली0	875.00	''	''	
77	80/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	30 ली0	1050.00	''	''	
78	81/09–10	गंगा पेट्रोलियम	40 ली0	1400.00	''	''	
79	82/09–10	देवरानी प्यूल सेंटर	50 ली0	1750.00	''	''	
80	83/09–10	गंगा पेट्रोलियम	25 ली0	875.00	''	''	

कुल योग– 83195.00

परिशिष्ट 'च' (कंडिका –11 से संबंधित)

अंकेक्षण वर्ष 2009–10 में रू0 596000.00 असमायोजित अग्रिम राशि की सूचि :–

क्र0	नाम एवं पदनाम	मद / विवरण	दिनांक	अग्रिम की राशि	समायोजित राशि	लंबित असमायोजित अग्रिम की राशि	अभ्युक्ति
1	श्री सरदार पन्ना लाल सिंह, प्रक्षेत्र प्रभारी, त्रिवेणीगंज	फार्म की खेती	25.03.10	100000.00	—	100000.00	
2	श्री अशोक कुमार चौधरी, कृषि निरीक्षक	गोदाम निमार्ण	17.02.10	100000.00	—	100000.00	
3	तदैव	गोदाम निमार्ण	05.03.10	150000.00	—	150000.00	
4	तदैव	घेराबन्दी	15.03.10	200000.00	—	200000.00	
5	श्री प्रहलाद प्रसाद सिंह, सहायक	परिवहन कार्य	19.05.09	15000.00	—	15000.00	
6	तदैव	परिवहन कार्य	23.05.09	10000.00	—	10000.00	
7	तदैव	कार्यालय कार्य	07.10.09	20000.00	—	20000.00	
8	श्री भागवत प्रसाद यादव प्र0 कृ0 पदा0	गेहूँ बीज अनलोडिंग	02.12.09	1000.00	—	1000.00	
			कुल —	596000.00		596000.00	

परिशिष्ट 'छ' (कंडिका –10 से संबंधित)

अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 22.7.11 को विभिन्न मदों में अवशेष राशियों की विवरणी :–

क्र0	विभिन्न मदों का नाम एवं विवरण	राशि	अभ्युक्ति
1	श्री यदुनन्दन प्रसाद, कृषि निरीक्षक से वसूली गई राशि	1100.00	
2	अल्पकालीन ऋण की राशि	14336.36	
3	निजी लेखा की राशि	4562.62	
4	अधिक वेतन भुगतान की गई राशि का वसूली	200.00	
5	अंकेक्षण आपत्ति से वसूली गई राशि	4.03	
6	प्रक्षेत्रों से आय 1. पिपरा 2. किशनपुर 3. चाँदसी पट्टी 4. गौरवगढ़ 5. त्रिवेणीगंज	 7225.90 20149.11 11652.72 36997.29 17192.00	
7	गौरवगढ़ प्रक्षेत्र में अबीज बिक्री से आय	9145.00	
8	श्री किशुन प्रसाद वर्मा से वसूली गई राशि	17275.00	
9	श्री रघुनन्दन प्रसाद से वसूली गई राशि	2290.00	
10	बैंक में जमा राशि पर सूद	1755889.27	

कुल – 1898019.30